न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी–नथमल डिडेल आई.ए.एस.

अपील संख्याः–03/2020 भरण–पोषण अधिनियम

1. रामनिवास शर्मा पुत्र श्री पूर्ण चन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी म.नं. 3/72(ए) वार्ड नं. 05, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन।
2. श्रीमती मायादेवी पत्नी श्री रामनिवास शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी म.नं. 3/72(ए) वार्ड नं. 05, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन।

––अपीलान्ट

बनाम

संजय शर्मा पुत्र श्री रामनिवास शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी शर्मा स्वीट हाउस ट्रक युनियन व हनुमान मन्दिर के पास श्री गंगानगर रोड़ हनुमानगढ़ जंक्शन।

––रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ आदेश दिनांक 02.11.2020 प्रकरण सं. 48/2019 बअनवानी रामनिवास वगैरा बनाम संजय शर्मा में पारित निर्णय के सम्बन्ध में।

निर्णय **दिनांकः–17.08.2021**

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 (2) अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 इस कद्र पेश करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी सं. 01 रामनिवास शर्मा पुत्र श्री पूर्णचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी म.नं. 3/72 (ए) वार्ड नं. 05, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ़ जंक्शन के नाम से एक भू–खण्ड संख्या 209 सैक्टर नं. 11 मण्डी हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित है जिसमें तीन दुकाने व एक गोदाम निर्मित है इनमें से एक दुकान कॉर्नर की है। इन तीनों दुकान व गोदाम का किराया लगभग 50 हजार रूपये मासिक है। इन दुकानों पर अप्रार्थी संजय शर्मा पुत्र श्री पूर्णचन्द शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी स्वीट हाउस ट्रक युनियन हनुमान मन्दिर के पास श्रीगंगानगर रोड़, हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़ काबिज है जो कि अपीलार्थीगण का पुत्र है इसके विपरित अपीलार्थी सं. 01 व 02 वृद्धावस्था में है। स्वयं की अस्वस्थता के अलावा उनके साथ रह रहे उनके दुसरे पुत्र अश्वनी व उसके परिवार का खर्चा भी वे ही वहन करते है। इसलिए अपीलार्थीगण का अप्रार्थी से 50,000 रूपये मासिक किराया व प्रत्येक अपीलार्थीगण को 10–10 हजार रूपये अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत दिलाया जावें । अपीलार्थीगण द्वारा इस प्रकार प्रार्थना पत्र करने पर प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को तलब किया गया। तलब किये जाने के बाद अप्रार्थी जरिये वकील श्री राजेश दीप राय उपस्थित आया। अप्रार्थी की तरफ से इस कद्र जबाव पेश किया कि उक्त भू–खण्ड सं. 209 सैक्टर 11 मण्डी, हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित है जिसमें तीन दुकानें व एक गोदाम निर्मित है। पैतृक सम्पत्ति है जिसके बाबत माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश, महोदय हनुमानगढ़ में प्रकरण सं. 20/2020 प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। इसके अलावा मूलवाद भी माननीय न्यायालय में जेरकार है। तत्पश्चात मातहत अदालत द्वारा बाद सुनने बहस दिनांक 02.11.2020 को निर्णय व आदेश पारित किया कि प्रत्येक अपीलार्थी को प्रत्यार्थी 2500/– रूपये निर्णय व आदेश की दिनांक से भुगतान करें। अदालत मातहत द्वारा उक्त निर्णय व आदेश अंशतः गलत विधि विरूद्ध एवं वास्तविक तथ्यों के विपरीत पारित किया है जिसमें अपीलार्थीगण क्षुब्ध है एवं इसे अंशतः अपास्त करवाना चाहते है। अपीलार्थीगण निर्णय व आदेश अदालत मातहत को निम्न आधारों पर चुनौती देते है।

निर्णय व आदेश अदालत मातहत अंशतः गलत, विधि विरूद्ध वास्तविक तथ्यों के विपरीत पारित किया होने के कारण अंशतः अपास्त कर प्रार्थना पत्र पूर्णरूप से स्वीकार किया जाने योग्य है। वर्तमान न्यायिक परिप्रेक्ष्य में यह सूस्थापित सिद्धान्त है कि भरण–पोषण से सम्बन्धित कोई भी प्रार्थना पत्र उसे पेश करने की दिनांक से स्वीकार किया जावेगा न की आदेश की दिनांक से, लेकिन मातहत न्यायालय द्वारा मूल प्रार्थना पत्र को आदेश की दिनांक से स्वीकार कर भारी गलती की है इसलिये निर्णय व आदेश अदालत मातहत अंशतः अपास्त किये जाने लायक है। भरण–पोषण की बकाया राशि पर अपीलार्थी/प्रार्थीगण का 18 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने का विधिक अधिकार है लेकिन मातहत न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में मातहत न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं करके भारी भूल की है इसलिये अपील अपीलार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य है। मातहत अधीकरण द्वारा प्रत्येक अपीलार्थी को मात्र 2500/रूपये प्रति अपीलार्थी अर्थात 5000/रूपये मासिक भरण–पोषण राशि प्रदान करने का आदेश दिया है जो पर्याप्त नहीं है। कानूनन व इन्साफन प्रत्येक अपीलार्थी को मातहत अधीकरण द्वारा ऐसा न कर भारी भूल की गयी है। इसलिये अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अपील अपीलार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अदालत मातहत के निर्णय व आदेश दिनांक 02.11.2020 को अंशतः अस्वीकार कर प्रत्यार्थी के विरूद्ध आदेश फरमाया जावें कि प्रत्येक अपीलार्थीगण को 10 हजार रूपये कुल 20,000/रू. मासिक के हिसाब से मय ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से भुगतान करें तथा दिनांक 05.08.2021 को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमान एसडीएम साहब हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 02.11.2020 के अनुसार प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी को अपने पुत्र संजय से अभी तक दो किश्तें ही मिली है। बाकी किश्तें अपीलार्थी व अपीलार्थी की पत्नी को अपने पुत्र संजय से नहीं मिली है। अपीलार्थी अपने भरण–पोषण के किश्तों की राशि पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 01132010030640 में प्राप्त करना चाहता है। भरण पोषण की बकाया राशि अपीलार्थी के बैंक खाते में जमा करवाने हेतु अपीलार्थी के पुत्र संजय को पाबंद करने की कृपा करें।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की तामिल जरिये सम्मन होकर प्राप्त हुई। रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायामित्र राजेश दीप राय उपस्थित।

बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय 02.11.2020 को अस्वीकार कर अपीलार्थीगण प्रत्येक को 10,000 रूपये कुल 20,000 रूपये मासिक के हिसाब से दिये जाने बाबत निवेदन किया है। न्यायमित्र रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थीगण द्वारा किये गये कथनों को अस्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार भुगतान करने बाबत निवेदन किया गया।

पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थीगण के दो पुत्र रेस्पोडेन्ट व एक पुत्र दिव्यांग है जो अपीलार्थी के साथ रहता है जिसे अपीलीर्थीगण ने स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.11.2020 को प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अपीलार्थीगण को रेस्पोडेन्ट से 2500 रूपये प्रत्येक अपीलार्थी को कुल 5000 रूपये मासिक भुगतान करने के निर्देश दिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 2500 रूपये प्रत्येक अपीलार्थी कुल 5000 रूपये अपीलार्थी को माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 में प्रावधानों के अनुसार निर्णय पारित किया गया है जो विधि संगत है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.11.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ को पालनार्थ लौटाया जावे। निर्णय की प्रति पक्षकारों को सूचनार्थ तथा समाज कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ़ को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़,